

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

200

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

200

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प ~~खाता प्रशासन~~

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~खाता प्रशासन~~ भूअनि ~~खाता प्रशासन~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~दांतारामगढ़~~ / नायब तहसीलदार ~~88 राठ~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130 के अनुसरण में ग्राम ~~खाता प्रशासन~~ 4080 ~~खाता प्रशासन~~ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सन्वत् 2076-77 में खाता संख्या 376 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. स. | ग्राम / प0ह0 | खाता संख्या / खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | खाता प्रशासन | खाता सं.- 376 ख.न. 1247 लगायत 1256 कुल खिरा - 10 कुल खसरा - 1.29 ई0 | वाडी के पिता का नाम कलमाम ठुल सुरत | वाडी के पिता का नाम कलमाम ठुल कानाराम ठुल सुरत दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं जिसी की न्यायालय का आदेश आदेश नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जाये |

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 08.10.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 44
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर